न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 449/2016
निर्णय दिनांकः— 24.11.2025
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. बद्रीलाल पुत्र श्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीरामगंज, तह0 फागी, जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र जगदीश, जाति जाट, निवासी श्रीरामगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
2. कमलेश पुत्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी श्रीरामगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
3. बालेश पुत्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी श्रीरामगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
4. तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
5. उपपंजीयक, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री उदय सिंह चौधरी वकील वादीगण
श्री गोपाल लाल चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2 व 3

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 24.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 50 की आराजी खसरा नं. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, कुल किता 08 ~~कुल~~ रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 51 के आराजी खसरा नम्बर 442, 443 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खतौनी संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 165, 364, 367, 377, 441 कुल किता 05 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खतौनी सं. 53 के आराजी खसरा नम्बर 357, 398, 399, 400, 401, 555/344 कुल किता 06 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम केरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर, खतौनी संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 188/1, 190/1, 192, 193, 194, 195, 1447, 1448, 1449/1 कुल किता 09 कुल रकबा 32 बीघा 02 बिस्वा बाके ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर एवं खतौनी संख्या 17 की आराजी खसरा नम्बर 435, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 472, 475, 476, 477, कुल किता 29 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 13 की आराजी खसरा नम्बर 473 व

474 कुल किता 2 कुल रकबा 07 बिस्वा, खतौनी संख्या 137 की आराजी खसरा नम्बर 455, 456 कुल किता 02 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा व खाता संख्या 138 की आराजी खसरा नम्बर 434/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा आराजी वाके ग्राम श्रीरामगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें खतौनी संख्या 50, 51, 52 में वादी का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/64, प्रतिवादी संख्या 3 1/64 खतौनी सं. 53 में वादी का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या का 3 का 1/48 हिस्सा, खतौनी संख्या 130, 17 में वादी का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/16, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/16 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा, खतौनी संख्या 137 में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है. खतौनी संख्या 138 में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का का 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा है व खतौनी संख्या 18 में वादी का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/16 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवारके सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक आराजीयात है। विवादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी का जन्म से अधिकार हैं। उक्त विवादित आराजी वादी के दादाजी स्व० जगदीश की आराजी रही है, जिसके उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है तथा वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। विवादित आराजी वादी के दादाजी की सम्पति होने के कारण वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त पैतृक सम्पत्ति में वादी का जन्मजात हिस्सा निहित हैं। विवादित आराजी वादी की पैतृक सम्पति है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वादी की विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने व बैचान करने पर आमादा है, जिसको उसको कानूनन कतई अधिकार नहीं है.. उक्त विवादित आराजीयात में वादी का जन्मजात हिस्सा निहित हैं, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बहकावे में आकर वादी की पैतृक सम्पति के खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जिसका उसे कोई कानूनन अधिकार नहीं हैं। प्रतिवाद संख्या 1 ने वादी व उसकी माता को आज से करीब 15–20 साल पूर्व घर से निकाल दिया था तब से वादी व उसकी माता अलग रह रहे हैं व प्रतिवादी संख्या 1 ने एक अन्य महिला को रख रखा है, जिसके बहकावे में आकर प्रतिवादी संख्या 1 वादी की पैतृक सम्पति को बैचान करना चाहता है, जबकि वादी व उसकी माता का जीविकोपार्जन का साधन इस आराजी के अलावा कुछ भी नहीं हैं। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान कर दिया तो वादी के समक्ष आजीविका का संकट

उपखण्ड [illegible]कारी

पैदा हो जावेगा। उक्त विवादित आराजीयात पर दिनांक 10/03, 2016 को प्रतिवादी संख्या 1 चार–पांच अन्य लोगों के साथ आया और विवादित आराजीयात की बेचान की बातचीत की, जिसका पता खेत की रखवाली कर रहे वादी को लगा तो वादी ने उक्त लोगों से अपने खेत पर आने का कारण पूछा तो उन्होनें कहा कि हम इस जमीन को खरीदेंगे, तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त जमीन का वैचान करने से मना कर दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि मैं इस जमीन को बैचूंगा, क्योंकि यह मेरे नाम खातेदारी में है तथा बैचान से प्राप्त रूपयों को मेरी दुसरी पत्नी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को दूंगा, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी दिये जाने के कारण वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने हेतु वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजीयात का बैचान कर दिया तो वादी अपने अधिकारों से महरूम हो जावेगा, जिससे वादी को खर्चे से जेरबार होना पडेगा, जिससे वादी को यह वाद–पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 10/03/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी का हिस्सा नाम लगाने से इन्कार करने एवं आराजी का दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर वादी को बेदखल करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे वादी का वाद अन्दर मियांद प्रस्तुत हैं। विवादित आराजीयात एंव पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री विनय कुमार जैन जरिये असालतन वकालतनामा उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल चौधरी उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 3 ने इकबालिया जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। इकबालिया जवाब दावा में वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता ने दिनांक 05.09.2024 को आदेशिका पर पैरवी के लिये कोई निर्देश प्राप्त नही होना जाहिर किया। प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

साक्ष्यवादी में वादी ने स्वयं एवं कानाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी श्रीरामगंज तथा रामेश्वर पुत्र रामजीवण जाति जाट निवासी रामचन्द्रपुरा तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये। जो शामिल मिसल किये गये। गवाहान ने अपने शपथ पत्र मे बताया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है विवादित आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें वादी का जन्म से

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अधिकार है उक्त विवादित आराजी वादी के दादाजी स्वर्गीय जगदीश की आराजी रही है जिसके उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी सं. 1 है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार उक्त पैतृक सम्पति में वादी का जन्मजात हिस्सा है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हिस्से का बाहमी बंटवारास कर काबिज काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादी व उसकी माता को आज से करीब 15–20 साल पूर्व घर से निकाल दिया था तक से वादी व उसकी माता अलग रह रहे है व प्रतिवादी सं. 1 ने एक अन्य महिला को रख रखा जिसके बहकावें में आकर प्रतिवादी सं. 1 वादी की पैतृक सम्पत्ति का बेचान करना चाहता है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है। मौके पर विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का समान हक व हिस्से पर काबिज काश्त है इसी अनुसार नाम लगना चाहिए।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस मे वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 2 लगायत 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादी का वाद मुताबिक इकबालिया जबाब दावा अनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा सं0 2 मे अंकन किया है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की पैतृक सम्पति है। जिसके सम्बन्ध मे प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने भी अपने जबाब मे व गवाहान ने भी अपने शपथ पत्र मे उक्त आराजी पैतृक सम्पति होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपने इकबालिया जबाब मे वाद पत्र के तथ्यो को स्वीकार करते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है।

चूकि वादी द्वारा उक्त वाद पैतृक सम्पति बताते हुये पेश किया है। जिसमे वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार होना प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खतौनी संख्या 50 के आराजी खसरा नं. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, कुल किता 08 कुल रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 51 के आराजी खसरा नम्बर 442, 443 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खतौनी संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 165, 364, 367, 377, 441 कुल किता 05 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खतौनी सं. 53 के आराजी खसरा नम्बर 357, 398, 399, 400, 401, 555 / 344 कुल किता 06

कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम केरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर व खतौनी संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 188/1, 190/1, 192, 193, 194, 195, 1447, 1448, 1449/1 कुल किता 09 कुल रकबा 32 बीघा 02 बिस्वा बाके ग्राम लसाडिया, तहसील फागी, जिला जयपुर एवं खतौनी संख्या 17 की आराजी खसरा नम्बर 435, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 472, 475, 476, 477, कुल किता 29 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 13 की आराजी खसरा नम्बर 473 व 474 कुल किता 2 कुल रकबा 07 बिस्वा, खतौनी संख्या 137 की आराजी खसरा नम्बर 455, 456 कुल किता 02 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, व खाता संख्या 138 की आराजी खसरा नम्बर 434/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा आराजी वाके ग्राम श्रीरामगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्से मे से वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

बद्रीलाल पुत्र श्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम श्रीराममगंज, तह० फागी जिला जयपुर राज०।

बनाम

1. रामकिशन पुत्र जगदीश, जाति जाट, निवासी श्रीराममगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
2. कमलेश पुत्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी श्रीराममगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
3. बालेश पुत्री रामकिशन, जाति जाट, निवासी श्रीराममगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
4. तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।
5. उपपंजीयक, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज०।

:– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :–

मु०नं०– 449 / 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री उदयसिंह चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री गोपाल लाल चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खतौनी संख्या 50 के आराजी खसरा नं. 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, कुल किता 08 कुल रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खाता संख्या 51 के आराजी खसरा नम्बर 442, 443 कुल किता 02 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खतौनी संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 165, 364, 367, 377, 441 कुल किता 05 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खतौनी सं. 53 के आराजी खसरा नम्बर 367, 398, 399, 400, 401, 555/344 कुल किता 06 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम केरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर व खतौनी संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 188/1, 190/1, 192, 193, 194, 195, 1447, 1448, 1449/1 कुल किता 09 कुल रकबा 32 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम लसाड़िया, तहसील फागी, जिला जयपुर एवं खतौनी संख्या 17 की आराजी खसरा नम्बर 435, 437, 438, 439, 441, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 472, 475, 476, 477, कुल किता 29 कुल रकबा 42 बीघा 09 बिस्वा, खाता संख्या 13 की आराजी खसरा नम्बर 473 व 474 कुल किता 2 कुल रकबा 07 बिस्वा, खतौनी संख्या 137 की आराजी खसरा नम्बर 455, 456 कुल किता 02 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा व खाता संख्या 138 की आराजी खसरा नम्बर 434/5 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 01 कुल रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा आराजी वाके ग्राम श्रीराममगंज, तहसील फागी, जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्से मे से वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

खर्चा इस मुकदमे के निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी मय सूद बशरह ..... फीसदी ..... तक ..... का अदा करे।

दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 / 11 / 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

24/11/25

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर